झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला समाज कल्याण शाखा)

अनुबंध पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या – 02/2018

देवघर जिले के नवसृजित विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं (देवघर, देवघर–सह–जसीडीह, सारठ, सारवाँ, मधुपुर, देवीपुर, करौं एवं मारगोमुण्डा) में सचिव, कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित पदों– महिला पर्यवेक्षिका, सांख्यिकी सहायक, लिपिक–सह–टंकक एवं आदेशपाल के पद पर इस कार्यालय के विज्ञापन सं0–01/2018 एवं ज्ञापांक–116/दिनांक 15.01.2018 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 3854/दिनांक 06.01.2018 के आलोक में रद्द किया जाता है।

सरकार के प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 4167/दिनांक 03.11.2017, पत्रांक 2354/दिनांक 27.10.2015 तथा पत्रांक 846/दिनांक 16.07.2005 के आलोक में पुनः देवघर जिले के स्थानीय निवासियों हेतु उपरोक्त वर्णित परियोजनाओं में उक्त पदों पर एक वर्ष के लिए अनुबंध पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है। देवघर जिला के नवसृजित बाल विकास परियोजनाओं के लिए अनुबंध पर नियुक्ति हेतु सृजित पदों की रिक्ति निम्नवत् है : –

क्र0	पद का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु0 जा0	अनु0 ज0 जा0
1	महिला पर्यवेक्षिका	20	10	2	3	2	3
2	सांख्यिकी सहायक	7	4	0	1	1	1
3	लिपिक–सह–टंकक	5	3	0	1	1	0
4	आदेशपाल	4	2	0	1	0	1

उपर्युक्त क्रमांक 01 से 04 तक अंकित पदों का मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार है : –

क्र0	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	प्रतिमाह संविदा भत्ता
1	महिला पर्यवेक्षिका	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र अथवा मनोविज्ञान अथवा गृह विज्ञान अथवा बाल विकास विषय से स्नातक उत्तीर्ण।	29050.00
2	सांख्यिकी सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक उत्तीर्ण	29050.00
3	लिपिक–सह–टंकक	इन्टर मीडिएट उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर एवं टंकण का ज्ञान	16760.00
4	आदेशपाल	मैट्रिक उत्तीर्ण एवं साईकिल चलाने का अनुभव	14310.00

उपर्युक्त सभी अराजपत्रित पद है तथा नियमित पद नहीं है। इन पदों पर की गई सभी अनुबांधिक नियुक्तियाँ शुद्ध रूप से तदर्थ होगी एवं नियुक्त व्यक्तियों को प्रथमतः एक वर्ष के लिए रखा जायेगा तथा उनके कार्यकलाप का मूल्यांकन कर उनकी सेवा को विस्तारित करने अथवा नहीं करने के बिन्दु पर समय–समय पर निर्णय लिया जायेगा। अतः ये पद किसी भी स्तर में संवर्ग के नहीं होंगे अर्थात इनमें कोई भी पद प्रमंडलीय अथवा जिला स्तरीय संवर्ग का न होकर संवर्ग अवधारणा से स्वतंत्र होगा।

उक्त पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्ते है : –

1. अनुबंध पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा की गणना (01.12.2018 के आधार पर)

कोटि	न्यूनतम आयु (वर्ष में)	अधिकतम आयु (वर्ष में)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए
अनारक्षित	18 वर्ष	35	40
अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग		37	42
महिला अनारक्षित		38	43
अनुसूचित जाति/अजजा (पुरूष एवं महिला)		40	45

2. आरक्षण का लाभ : –

(क) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) आरक्षण का लाभ केवल देवघर जिले के स्थानीय निवासियों को जिला के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा।

(ग) देवघर जिला के उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) तथा पिछड़ा वर्ग (BC-II) के है को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए देवघर जिला अन्तर्गत उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से क्रमशः विभागीय पत्रांक 5682/दिनांक 22.10.2008 एवं विभागीय ज्ञापांक 10007/दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत प्राधिकार प्रमाण–पत्र संख्या, जारी करने की तिथि अंकित होनी चाहिए।

(घ) आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र, नियोजन हेतु निवासी प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना होगा।

(ङ) आरक्षण लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी को जाति प्रमाण–पत्र एवं नियोजन हेतु निवासी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित वर्ग में माना जायेगा।

(च) संविदा पर नियुक्त कर्मियों के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।

(छ) विज्ञापन के साथ प्रकाशित शर्तो एवं विहित प्रपत्र में ही आवेदक आवेदन देंगे। साथ ही लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र निबंधिक डाक से दिनांक 21/12/18 से 05/01/19 के संख्या 5.00 बजे तक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय के पता पर प्राप्त किया जायेगा। उक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त एवं शर्तो के साथ आवेदन नहीं करने आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ज) सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं अंको के आधार पर ही योग्य उम्मीदवार का सभी प्रमाण–पत्रों की जाँच की जायेगी तथा विभागीय नियमानुसार योग्य उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। लिपिक–सह–टंकक पद के लिए लिखित परीक्षा के साथ–साथ कम्प्यूटर टंकक एवं कम्प्यूटर दक्षता की भी परीक्षा ली जायेगी।

3. विज्ञापन के शर्तो एवं रिक्ति को घटाने/बढ़ाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

उपायुक्त,
देवघर।

आवेदन प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम – ....
2. आवेदक का नाम – ....
3. पिता/पति का नाम – ....
4. वर्तमान पता – ग्राम – .... पोस्ट–..
थाना– .... जिला–..
राज्य– .... पिन कोड–..

स्व अभिप्रमाणित फोटो

5. स्थायी पता – ग्राम – .... पोस्ट–..
थाना– .... जिला–..
राज्य– .... पिन कोड–..

6. (क) शैक्षणिक योग्यता –

क्र0	शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/संस्थान का नाम	उत्तीर्ण का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत्
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

(ख) अन्य योग्यता –

7. (क) जन्म तिथि अंक में (दिन/माह/वर्ष)– [|] [|] [| | |]
(ख) उम्र (01.01.2018 को) .... वर्ष (वर्ष .... माह .... दिन ....)
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग ....
9. लिंग – (महिला/पुरूष) – ....
10. अनुलग्नक : –

1. 2. 3.
4. 5. 6.

उपर्युक्त सभी जानकारी एवं तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं दुरूस्त है। यदि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी/अंश गलत पाया जाता है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

स्थान –

आवेदक का हस्ताक्षर

(हिन्दी में) –

तिथि –

(अंग्रेजी में) –